# राजस्थान सूचना आयोग

ओ0टी0एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर –302017
(फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांकः– प.6( )रा.सू.आ. / संस्था / सलाहकार / 2016 / 68623 / — दिनांक 22-9-16

## अभिरूचि की अभिव्यक्ति

राजस्थान सूचना आयोग सलाहकारी सेवाओं हेतु परार्मशदाताओं / कन्सलटेन्ट के सूचीकरण हेतु केन्द्र / राज्य सरकार, लोक उपक्रम / निगम, न्यायालयों, राजकीय संस्थानों, रेगूलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल, आयोग व अन्य इसी तरह के संस्थानों से सेवा निवृत अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है जो मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से स्नातक हो तथा जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष का सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वन का अनुभव हो।

इच्छुक व्यक्ति दिनांक 28.10.2016 तक सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को सादे पेपर पर अपनी प्रोफाईल अंकित करते हुए आवेदन कर सकता है।

सलाहकारों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो का विवरण व वांछित योग्यता आदि आयोग की वेब साईट www.ric.rajasthan .gov.in एवं पोंटल पर उपलब्ध है।

सचिव,
राजस्थान सूचना आयोग

## सलाहकार की नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, अनुभव व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण

| | |
|---|---|
| 1. आवश्यक योग्यताः– | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। |
| 2. वांछित योग्यताः– | विधि, विज्ञान, प्रोद्यौगिकी, प्रबंध, प्रशासन और संचालन में व्यापक जानकारी। |
| 3. अनुभवः– | केन्द्र/राज्य सरकार; लोक उपक्रम/निगम, न्यायालयों, राजकीय संस्थानों, रेगूलेटरी कमीशन, ट्रिबूनल, आयोग व अन्य इसी तरह के संस्थानों से सेवा निवृत अधिकारी जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन का कार्य अनुभव। |
| 4. चयनः– | आयोग में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त सलाहकारी सेवाओं हेतु परामर्शदाताओं/कन्सलटेन्ट (Empanellment) सूचीकरण किया जावेगा। |

**सलाहकार द्वारासंपादितकियेजानेवालेकार्योकाविवरणः**

1. कोर्ट में सुनवाई हेतु लगे अपील/परिवाद की केस समरी तैयार करना
2. विधिक बिन्दुओं की पहचान करना।
3. अपील प्रकरणों में न्यायालयों/आयोगों के पूर्व निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के प्रकरणानुसार लागू होने की संभावना व समीचीनता की समीक्षा/व्याख्या करना।
4. माननीय सर्वोच्चन्यायालय, उच्चन्यायालय, केन्द्रीय सूचनाआयोग व देश के अन्य राज्य सूचना आयोगों द्वारा पारित निर्णयों का परीक्षण व अनुसंधान करना।
5. ऑनलाईन पोर्टल की क्रियान्विनती में सहयोग करना।
6. अन्य कार्य जो मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/आयोग द्वारा सौपे जावें।

सचिव

H:\\STATEMENT OF CONSULTANTS.docx